सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

सप्तम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 28 अग्रहायण, 1944 (श०) / 19 दिसम्बर, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 82

(1) गृह विभाग	..	..	49
(2) सामान्य प्रशासन विभाग	..	..	08
(3) वित्त विभाग	..	..	04
(4) उद्योग विभाग	..	..	13
(5) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	..	..	03
(6) मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग	..	..	01
(7) गन्ना उद्योग विभाग	..	..	02
(8) वाणिज्य-कर विभाग	..	..	02
		कुल योग --	82

तालाब का जीर्णोद्धार

*462. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत नगर परिषद्, झंझारपुर के औद्योगिक प्रांगण स्थित बियाडा के नियंत्रणाधीन तालाब का सौन्दर्यीकरण कराने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में मैंने पत्रांक 264/2021, दिनांक 3 अगस्त, 2021 के माध्यम से प्रबंध निदेशक, बियाडा, पटना को पत्र प्रेषित किया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, झंझारपुर के द्वारा भी बियाडा के नियंत्रणाधीन तालाब के सौन्दर्यीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिये पत्रांक 908, दिनांक 10 नवम्बर, 2022 के माध्यम से प्रबंध निदेशक, बियाडा, पटना से पुनः अनुरोध किया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त तालाब के जीर्णोद्धार हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यवस्था

*463. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बरारी में स्थित बिहार इंडस्ट्रीयल एण्ड डेवलपमेंट एरिया 51 एकड़ क्षेत्र में अवस्थित है जहाँ प्रदेश स्तर की 56 इकाइयाँ चल रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूरे बियाडा क्षेत्र में कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं रहने के कारण शाम होते ही चोरी ही संभावना बढ़ जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक बियाडा क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उम्र सीमा को पूर्ववत रखना

*464. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार पुलिस में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की उम्र सीमा SC/ST के 18-40 से घटाकर 18-27, OBC के लिये 18-38 से घटाकर 18-25 और सामान्य कोटि के लिये 18-38 को घटाकर 18-23 कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में औसत आयु में 5 साल की वृद्धि हुई हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि उम्र सीमा घटा दिये जाने के कारण विभिन्न कोटि के 1 करोड़ से अधिक बेरोजगार युवा पुलिस में नियुक्ति की अर्हता खो चुके है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार घटाई गई उम्र सीमा को समाप्त कर उम्र सीमा को पूर्ववत् रखने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वधशाला को बंद कराना

*465. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के हलहलिया पंचायत के ग्राम-अलसमिर, जकारिया एवं मोहराव में हजारों की आबादी के बीच पशु वधशाला संचालित होने के कारण विभिन्न प्रकार के बीमारी फैलने का खतरा होने के साथ-साथ पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पशु वधशाला के साथ-साथ फारबिसगंज विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न अवैध पशु वधशाला का संचालन हो रहा है, जिससे लगभग 70 हजार की आबादी प्रभावित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार फारबिसगंज विधान सभा क्षेत्र में संचालित उपरोक्त पशु वधशाला सहित विभिन्न अवैध पशु वधशाला को बंद कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अंतिम परीक्षाफल जारी करना

*466. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0जा0))--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गृह रक्षा वाहिनी विज्ञापन संख्या 02/2011 के माध्यम से होम गार्ड्स की बहाली निकाली गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिले में भर्त्ती की सभी प्रक्रियाएँ पूरी करने एवं औपबंधिक मेधा सूची जारी करने के बाद भी अभीतक अंतिम परीक्षाफल जारी नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार भोजपुर जिले में होम गार्ड्स की बहाली का अंतिम परीक्षाफल कबतक जारी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी की स्थापना

*467. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत धुरियाही बयहार में असामाजिक तत्वों के आपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र में भय का वातावरण व्याप्त है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इन आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिये धुरियाही में एक पुलिस चौकी की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अप्राथमिकी अभियुक्त को दोषमुक्त करना

*468. श्री आबिदुर रहमान (क्षेत्र संख्या-49 अररिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के अररिया थाना कांड संख्या 377/2020 में जप्ती सूची के गवाह खालिद मुसर्रफ, पिता-मो0 रकीबउद्दीन एवं मो0 सब्बीर, पिता-नफीलउद्दीन दोनों साकिन-बाँसबाड़ी, वार्ड नम्बर 13, थाना व जिला-अररिया को अप्राथमिकी अभियुक्त बना दिया गया है, जबकि दोनों का पूर्व में कभी भी कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, यदि हाँ, तो वर्णित थाना कांड संख्या 377/2020 की निष्पक्ष जाँच कराकर कबतक अप्राथमिकी अभियुक्त को दोषमुक्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

हस्तनिर्मित वस्तुओं का निर्यात कराना

*469. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला में वर्षों से बाँस द्वारा हस्तनिर्मित सामग्रियों के आधार पर जीवन-यापन करने वाले समुदायों को बाँस द्वारा निर्मित सामग्रियों के निर्माण में लागत के बाबत पहले की अपेक्षा बहुत ही कम राशि प्राप्त होती है, जिस कारण उनके परिवार के भरण-पोषण में काफी कठिनाई हो रही है, साथ ही हस्तनिर्मित संस्कृति विलुप्त होने के कगार पर है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बेगूसराय में लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से हस्तनिर्मित वस्तुओं को बाजार में उचित मूल्य पर बिक्री कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस ओ०पी० का निर्माण

*470. श्री राणा रणधीर (क्षेत्र संख्या-18 मधुबन)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के पकड़ीदयाल प्रखंड अन्तर्गत पकड़ीदयाल थाना से शेखपुरावा बाजार चौक की दूरी 06 कि०मी० एवं पताही थाना की दूरी 10 कि०मी० है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पताही थाना की दूरी 10 कि०मी० होने के कारण शेखपुरवा बाजार चौक पर आये दिन आपराधिक वारदात घटित होती रहती है, जिससे वहाँ भय का महौल बना रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेखपुरवा बाजार चौक पर पुलिस ओ०पी० का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक है ।

(2) अस्वीकारात्मक है ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि गृह विभाग के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के थानों के सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिये राज्य में चौकीदार संवर्ग के कुल 28900 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 26000 चौकीदार, 1900 दफादार एवं 1000 वरीय दफादार के पद हैं।

चौकीदारों के जिलावार स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई जिला स्तर पर निरंतर चलती रहती है।

सम्प्रति, विभाग के स्तर पर राज्य में चौकीदारों के पदों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

चौकीदारों की बहाली करना

*471. श्री राणा रणधीर (क्षेत्र संख्या-18 मधुबन)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में आबादी के अनुपात में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस महकमे में निचले पदों पर शहरी एवं देहाती क्षेत्रों में कार्य करने वाले चौकीदार के पदों की संख्या काफी कम है ;

(2) क्या यह बात सही है कि चौकीदारों की संख्या कम होने से शहरी एवं देहाती थानों की सूचना तंत्र प्रभावित हो रही है, जिसका सीधा फायदा अपराधी उठा रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शहरी एवं देहाती थानों की सूचना तंत्र मजबूत कर अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चौकीदारों की बहाली करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बिरौल अनुमंडल को जिला बनाना

*472. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौड़ाबौराम)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत बिरौल अनुमंडल है, जिसमें छः प्रखण्ड हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिरौल अनुमंडल जिला बनने की सभी अर्हताएँ पूरी करता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिरौल अनुमंडल को जिला बनाने की विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रस्ताव को निरस्त करना

*473. श्री राम चन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-84 हायाघाट)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत बहेड़ी थाना के क्षेत्राधिकार में कुल 27 पंचायत में कोई सहायक थाना नहीं रहने के कारण उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले पंचायतों की निगरानी करने में कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के समाहरणालय में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में दरभंगा जिलान्तर्गत बहेड़ी थाना को बिरौल में स्थानान्तरित करने हेतु प्रस्ताव लिया गया, जिसके आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक 3018/रा०, दिनांक 5 नवम्बर, 2022 के द्वारा बहेड़ी का थाना बिरौल में स्थानान्तरित करने हेतु अनुरोध पत्र भेजा गया है जो बिल्कुल उचित नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थाना को स्थानान्तरित करने हेतु दिये गये प्रस्ताव को निरस्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान

*474. श्री विनय कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-80 बेनीपुर)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि धमेन्द्र मिश्रा और उनकी पत्नी श्रीमती राजकुमारी मिश्रा ने नन बैंकिंग सहारा ग्रुप के गोल्डन-ए डबल स्कीम में एस०के० पुरी ब्रांच कोड नं० 146 पटना में निवेश किया है, जो 2021 में परिपक्व हो चुका है, परन्तु परिपक्वता राशि 800000 का भुगतान सहारा ग्रुप द्वारा नहीं किया जा रहा है, जबकि इस संबंध में आवेदक द्वारा दो-दो बार डी०एम० पटना को आवेदन दिया गया, लेकिन अभीतक भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक सहारा ग्रुप द्वारा परिपक्वता राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*475. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनिया (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत मोहनिया विधान सभा क्षेत्र के कुदरा प्रखंड अन्तर्गत देवराड़ कला पंचायत स्थित देवराड़ वनसती में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों एवं पशुओं का आना-जाना लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग स्थापित करना

*476. श्री आलोक रंजन (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला के बैजनाथपुर पेपर मिल सरकार की उदासीनता के कारण बंद है एवं संरचना भी ध्वस्त है, जिसके कारण स्थानीय युवाओं को रोजगार की समस्या हो गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बैजनाथपुर पेपर मिल को पुनः चालू करने अथवा उस भूमि पर अन्य उद्योग स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना की स्थापना

*477. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला अन्तर्गत फारबिसगंज विधान सभा के खवासपुर एवं परवाहा पंचायत में अपराध नियंत्रण के लिये पुलिस चौकी का निर्माण किया गया है जिस पर 1/4 का पुलिस की तैनाती भी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि फारबिसगंज देश के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित रहने के कारण आपराधिक घटना घटने पर पुलिस समय से घटना स्थल पर नहीं पहुँच पाती है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त पुलिस चौकी पर पुलिस बल की समुचित व्यवस्था एवं सुविधा के अभाव के कारण तथा आपराधिक घटना पर त्वरित कार्रवाई नहीं होने से लोगों में भय व्याप्त रहता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार फारबिसगंज विधान सभा के लोगों की सुरक्षा हेतु खवासपुर एवं परवाहा में नये थाना की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल चालू करना

*478. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 2022 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''संघर्ष व समस्या से उबर नहीं पा रहे गन्ना किसान'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बढ़ती लागत, मिलों पर बकाया एवं निचली भूमि/चौड़ में जल-जमाव होने से गन्ने की फसल प्रभावित हो रही है जिसका खामियाजा किसान एवं चीनी मिल दोनों को भुगतना पड़ रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जल निकासी एवं रोग प्रबंधन की जानकारी नहीं होने से भी गन्ने की खेती प्रभावित हो रही है ;

(3) क्या यह बात सही है कि रीगा, सकरी, रैयाम व लोहट के साथ दर्जनों चीनी मिल के बंद होने के कारण किसान गन्ना की खेती करना छोड़ दिये हैं ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गन्ना किसानों के लिये पानी निकासी एवं बंद पड़े चीनी मिल को चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*479. श्री लखेंद्र कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-130 पातेपुर (अ०जा०))--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंडान्तर्गत उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कस्तुरीसराय में 2 (दो) वर्ष पूर्व शाखा प्रबंधक एवं कैशियर सैंकड़ों खाताधारियों के खाते से लगभग 11 करोड़ राशि की अवैध निकासी करके फरार हो गये हैं जिस कारण आम जनता एवं खाताधारियों में काफी आक्रोश है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक दोषियों पर कार्रवाई करते हुये खाताधारियों का उक्त बैंक से राशि वापस कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थानान्तरण करना

*480. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्गत अधिसूचना/नियमावली के आलोक में राज्य/जिलों में सरकारी अधिकारी/कर्मचारी तीन साल से ज्यादा एक जगह पर पदस्थापित नहीं रह सकते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी, पटना के प्राप्ति शाखा में श्री कन्हैया कुमार, परिचारी एवं जिला शिक्षा कार्यालय, पटना में पदस्थापित संजय कुमार, शंभू कुमार एवं अन्य लिपिक 10 वर्षों से नियम विरुद्ध एक ही स्थान पर पदस्थापित हैं, जिनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तीन वर्षों से अधिक एक ही स्थान पर पदस्थापित परिचारी एवं लिपिकों को स्थानान्तरण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नौकरी देना

'क'-*481. श्री राम विशुन सिंह (क्षेत्र संख्या-197 जगदीशपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर प्रखंड के देवटोला ग्राम निवासी राधा मोहन सिंह के पुत्र रमेश रंजन जो सी०आर०पी०एफ० में थे, दिनांक 2 मई, 2020 को आतंकवादियों से लोहा लेते हुये दो आतंकवादियों को मारकर अपनी वीरता का परिचय देते हुये शहीद हुये थे ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2020 में सी०आर०पी०एफ० के शहीद खुर्शीद खान की वीर नारी की नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग, विक्रमगंज में हुई है एवं शहीद लवकुश शर्मा की वीर नारी अनिता कुमारी की नियुक्ति जिलाधिकारी कार्यालय, जहानाबाद में हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सी०आर०पी०एफ० शहीद रमेश रंजन की वीर नारी बेबी राय को सरकारी नौकरी देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि जगदीशपुर प्रखंड के देवटोला ग्राम निवासी राधा मोहन सिंह के पुत्र रमेश रंजन जो सी०आर०पी०एफ० में थे, दिनांक 5 फरवरी, 2020 को आतंकवादियों से लोहा लेते हुये शहीद हुये थे ।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि खुर्शीद खान की वीर नारी श्रीमती नगमा खातुन की नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दावथ में की गई है एवं शहीद शर्मा लवकुश सुदर्शन की वीर नारी अनिता कुमारी की नियुक्ति जिलाधिकारी कार्यालय, जहानाबाद में कार्यालय परिचारी के पद पर की गई है ।

(3) सी०आर०पी०एफ० के शहीद खुर्शीद खान की वीर नारी एवं शहीद शर्मा लवकुश सुदर्शन की वीर नारी की नियुक्ति की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किये जाने के कारण उन्हें नौकरी देने की कार्रवाई सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निदेशालय के पत्र संख्या 1114, दिनांक, 19 अगस्त, 2020 के आलोक में की गई है । इन दोनों की शहादत दिनांक-17 अगस्त, 2020 हुई थी ।

शहीद रमेश रंजन की शहादत दिनांक 5 फरवरी, 2020 को यानी उपरोक्त मामले से पहले का है । इस मामले में सरकार द्वारा उनके आश्रित को नौकरी देने संबंधी कोई घोषणा नहीं की गई थी । वर्तमान में इन्हें नोकरी देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

कब्रिस्तान की घेराबंदी

'ख'-*482. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड नीमचक बथानी के ग्राम-छतनी में कब्रिस्तान है, जिसकी घेराबंदी आजतक नहीं की गयी है, जिसके कारण भूमि विवाद में दो समुदायों में बराबर तनाव की स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ग्राम में कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट-- 'क'- सामान्य प्रशासन विभाग से गृह विभाग में स्थानांतरित ।

'ख'- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से गृह विभाग में स्थानांतरित ।

पदाधिकारियों की पदस्थापना करना

*483. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बेगूसराय प्रखंड अन्तर्गत लोहियानगर में अंडी रेशम फार्म है, जिसमें बड़े पैमाने पर अंडी की खेती के साथ बसही, गोपालपुर, बरियारपुर, खोदावंदपुर एवं सकरौली के लगभग 11 रेशम पालक इस फार्म से जुड़े हुए हैं परन्तु फार्म में अधिकारियों एवं सुविधाओं के अभाव में फार्म बंद होने के कगार पर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि तसर विकास योजना के माध्यम से रेशम उद्योग के विकास हेतु सरकार प्रयासरत है परंतु बेगूसराय में रेशम उद्योग पर अपेक्षित ध्यान नहीं देने के कारण आज 1100 अंडी रेशम के कृषक रोजगार से वंचित हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त फर्म को सुविधाओं से लैस कर पुनर्जीवित करते हुए पदाधिकारियों की पदस्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*484. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-धौड़ाह में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से बाहरी लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमा राशि वापस कराना

*485. श्री अली अशरफ सिद्दिकी (क्षेत्र संख्या-158 नाथनगर)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के सर्टिफिकेट नम्बर-80856947749, रीता सिंह सहित 20 हजार से अधिक लोगों से करायी गयी फिक्सड डिपोजिट की राशि वर्ष 2021 से ही लौटायी नहीं जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक सहारा द्वारा ली गई जमा राशि वापस कराने एवं भविष्य में उसके द्वारा जमा संबंधी कारोबार करने पर रोक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवास का भी निर्माण

*486. श्री दामोदर रावत (क्षेत्र संख्या-242 झाझा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत झाझा में पुलिस सब-डिवीजन कार्यालय का अपना भवन नहीं होने के कारण प्राईवेट भवन में संचालित है, साथ ही पुलिस उपाधीक्षक के लिए भी आवास नहीं है, जिसके कारण विभागीय कार्य प्रभावित होता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक झाझा में आधुनिक पुलिस सब-डिवीजन कार्यालय के साथ ही पुलिस उपाधीक्षक के लिए आवास का भी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अपील संबंधी कठिनाई को दूर करना

*487. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जून, 2022 से तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त के पद पर दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिससे तिरहुत प्रमंडल में स्थाई आयुक्त नहीं होने के कारण प्रमंडलीय न्यायालय में आमजनों को न्यायालय से संबंधित अपील दायर करने व अन्य कार्यों में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इस कठिनाई को दूर करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रमंडलीय आयुक्त का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव स्तर का पद है। भारत सरकार द्वारा बिहार संवर्ग में सचिव स्तर के लिए 46 पद अधिकृत है, जिनके विरुद्ध बिहार राज्य में मात्र 27 पदाधिकारी विभिन्न समकक्षीय पदों पर पदस्थापित हैं।

अतएव सचिव स्तर के पदाधिकारियों की कमी के कारण श्री मनीष कुमार, भा0प्र0से0 (बी एच:2005), प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को दिनांक 28 अप्रील, 2022 के प्रभाव से प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर का अतिरिक्त प्रभार प्रदत्त है। फलतः प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पद पर भा0प्र0से0 के पदाधिकारी के पदस्थापन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ऊपर कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

छात्रावास में मूलभूत सुविधाएँ बहाल करना

*488. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0 जा0))--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत स्व0 डॉ0 अब्दुल अलीम, अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास, मझौवा, आरा जिले का 100 बेड का एकमात्र अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास है, जिसमें बक्सर, रोहतास सहित कई जिलों के छात्र रहते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2020 से ही छात्रावास का मेस बंद है और न ही छात्रों को राशन दिया जाता है एवं पीने के पानी सहित कई मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्व0 डॉ0 अब्दुल अलीम, अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास, मझौवा, आरा को 500 बेड का करने, छात्रावास का मेस शुरु करने एवं मूलभूत सुविधाएँ बहाल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ओ0पी0 बनाना

*489. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के बेला थाना अन्तर्गत विगत एक साल में एक दर्जन से अधिक जगहों पर डकैती की घटना हुई है तथा बेला थाना का क्षेत्र नेपाल सीमा से सटे होने के कारण अस्थाई रूप से पुलिस की व्यवस्था भीसवा बाजार पर है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक भीसवा बाजार में स्थाई रूप से ओ0पी0 बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

साक्षात्कार कराना

*490. श्री अली अशरफ सिद्दिकी (क्षेत्र संख्या-158 नाथनगर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इंदिरा गाँधी ह्रदय रोग संस्थान, पटना के निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु निकाले गये विज्ञापन संख्या 68/20 का परीक्षाफल दिनांक 10 जून, 2022 को निकाला गया है परंतु अभीतक साक्षात्कार आयोजित नहीं किये जाने के कारण इंदिरा गाँधी ह्रदय रोग संस्थान, पटना में निदेशक के पद पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है, यदि हाँ, तो विज्ञापन संख्या 68/20 में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार सरकार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग लगाना

*491. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला अन्तर्गत धरहरा प्रखंड के माताडीह पंचायत में कृषि विभाग की अनुपयोगी 100 एकड़ से अधिक परती पड़ी जमीन पर उद्योग लगाये जाने का प्रस्ताव विगत तीन वर्षों से सरकार के स्तर पर प्रस्तावित है, यदि हाँ, तो सरकार कृषि विभाग से जमीन का अधिग्रहण कर उद्योग लगाये जाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पत्र का अनुपालन

*492. श्री मिथिलेश कुमार (क्षेत्र संख्या-28 सीतामढ़ी)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्य सचिव के पत्र संख्या सं0का0-1/संकल्प-4012/869, दिनांक 11 सितम्बर, 2006 एवं पत्र संख्या सं0का0-1/विविध-609, दिनांक 19 फरवरी, 2022 के कॉलम (8) (9) (10) एवं (13) जो जन-प्रतिनिधियों द्वारा माँगी गयी सरकारी कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराने से संबंधित है, जिसका अनुपालन पदाधिकारीगण द्वारा नहीं किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्य ने मई, 2022 में जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को जिला में चल रहे विकास कार्यों के अद्यतन स्थिति के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा था, जिसका जवाब अभीतक नहीं दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मुख्य सचिव के उक्त पत्रों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*493. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन विधान सभा के प्रखंड+पंचायत-कोचाधामन में टेना स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण आमजनों एवं मवेशी आदि का आवागमन से विवाद की आशंका बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*494. श्री अमर कुमार पासवान (क्षेत्र संख्या-91 बोचहाँ (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के बोचहाँ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मुशहरी प्रखंड के ग्राम पंचायत राज अब्दुलनगर उर्फ माधोपुर में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना भवन का निर्माण

*495. श्री राजीव कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-164 तारापुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला अन्तर्गत टेटिया बंबर प्रखंड के स्थापना के बीस वर्ष होने के बावजूद उक्त प्रखंड मुख्यालय में अभीतक थाना का निर्माण नहीं हुआ है और ओ0पी0 से ही काम चलाया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड में थाना का सृजन कर थाना भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वैट दर को घटाना

'ग'-*496. श्री आलोक रंजन (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा एवियेशन टरवाईन फ्यूल (ए0टी0एफ0) पर 29 प्रतिशत वैट अप्रील, 2022 में लगाया गया है, जिसके कारण दिल्ली-दरभंगा हवाई किराया में वृद्धि हो गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इस वैट दर को घटाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मिल निदेशकों पर कार्रवाई

*497. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला अन्तर्गत डुमराँव स्थित डुमराँव टेक्सटाईल लिमिटेड (सुता मिल) मिल में कार्यरत मजदूरों के बकाये का भुगतान किये बगैर मिल बंद कर उद्योग की भूमि को बेच दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि डुमराँव टेक्सटाईल लिमिटेड के निदेशकों द्वारा मिल को पुनः चालू करने के लिये सरकार के उद्योग नीति के तहत बक्सर जिले के गरहथा में किसानों से भूमि अधिग्रहण किया गया है परन्तु मिल चालू नहीं करके अधिगृहित भूमि को गलत तरीके से बेचा जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मिल को चालू कराने तथा किसानों से अधिगृहित भूमि को बेचने वाले निदेशकों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'ग'-वित्त विभाग से वाणिज्य-कर विभाग में स्थानान्तरित ।

प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण

*498. श्री चेतन आनंद (क्षेत्र संख्या-22 शिवहर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर जिला मुख्यालय में गृह रक्षा वाहिनी का प्रशिक्षण केन्द्र नहीं रहने के कारण जवानों को प्रशिक्षण कार्यों में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक शिवहर जिला मुख्यालय में गृह रक्षा वाहिनी प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाने में समायोजन

*499. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत एन०टी०पी०सी० खैरा थाना के अधीन बडेम ओ०पी० स्थित है जो खैरा थाने से मात्र 1 कि०मी० की दूरी पर स्थित है, यदि हाँ, तो सरकार राजस्व हित में बडेम ओ०पी० को एन०टी०पी०सी० खैरा थाने में कबतक समायोजित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सद्‌भावना भवन बनाना

*500. श्री मिश्री लाल यादव (क्षेत्र संख्या-81 अलीनगर)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड अन्तर्गत अलीनगर प्रखंड मुख्यालय में अल्पसंख्यक सद्‌भावना भवन बनाने की स्वीकृति एक वर्ष पूर्व सरकार द्वारा दी गयी थी तथा सद्‌भावना भवन बनाने हेतु जगह एवं ठेकेदार का भी चयन हो चुका है, परन्तु कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार अलीनगर प्रखंड मुख्यालय में कबतक सद्‌भावना भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

*501. श्री चेतन आनंद (क्षेत्र संख्या-22 शिवहर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर जिला मुख्यालय में औद्योगिक क्षेत्र नहीं रहने से उक्त क्षेत्र के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार शिवहर जिला मुख्यालय में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रोत्साहन राशि का आवंटन

*502. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 एवं 2014 के तहत बिहार में स्थापित उद्योग इकाइयों को जो प्रोत्साहन राशि देना था, वह नहीं दिया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कई बड़े औद्योगिक संस्थान जैसे आर०एस०पी०एल० लिमिटेड, नीलकमल स्टील प्राईवेट लिमिटेड, जे०जी० फाउन्ड्री, श्री सिमेन्ट लिमिटेड के पक्ष में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC/9554/2021, CWJC/10416/2021, CWJC/3060/2021, CWJC/5684/2021 द्वारा न्यायादेश पारित करने के बाद भी अभीतक प्रोत्साहन राशि का आवंटन नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक संस्थानों के इस कठिनाई को दूर करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडल बनाना

*503. श्री विजय कुमार सिन्हा (क्षेत्र संख्या-168 लखीसराय)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला के बड़हिया प्रखंड अनुमंडल बनने की सारी अर्हता पूरा करता है, जबकि बड़हिया प्रखंड के बाद बनने वाले शेखपुरा प्रखंड को अनुमंडल बना दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बड़हिया को अनुमंडल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधिसूचना सं० 223, दिनांक 12 मार्च, 2021 द्वारा राज्य में जिला/अनुमंडल/प्रखंड/अंचल के पुनर्गठन हेतु मंत्रियों के समूह का गठन माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। इस समूह को सचिवालीय सहायता ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाना है। इसके अतिरिक्त जिला/अनुमंडल/प्रखण्ड/अंचल के पुनर्गठन के संबंध में लम्बित प्रस्तावों एवं जनता से प्राप्त सभी माँग पत्रों की समीक्षा कर उसे मंत्रियों के समूह के समक्ष रखने हेतु सचिवों की समिति मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं० 590, दिनांक 27 अप्रील, 2016 द्वारा पूर्व से गठित है। सचिवों की समिति की बैठक दिनांक 8 फरवरी, 2017 में लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के संबंध में जिला पदाधिकारी तथा प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से सचिवों की समिति के समक्ष विचारार्थ उपस्थापित किया जाना है। उक्त प्रस्ताव भेजने हेतु सभी जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया है।

वर्तमान में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के जनगणना कार्य निदेशालय बिहार के पत्रांक जे०21011/1/2018 (पार्ट), दिनांक 22 जून, 2022 द्वारा प्रशासनिक इकाइयों की सीमा में दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक परिवर्तन नहीं किये जाने का आदेश संसूचित है।

इस प्रकार बड़हिया को अनुमंडल बनाने का सम्प्रति प्रस्ताव नहीं है।

पुलिस चौकी की स्थापना करना

*504. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अन्तर्गत मुहम्मदपुर बाजार से कमतौल थाना की दूरी अधिक होने के कारण चोरी, डकैती आदि आपराधिक घटनाओं पर काबू करने में थाना प्रशासन को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुलिस चौकी की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*505. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चिरैया प्रखंड के दीपही, धरहरवाँ पंचायत के ग्राम-दीपही में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, जिस कारण जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अभ्यर्थियों को न्याय दिलाना

*506. श्री मोती लाल प्रसाद (क्षेत्र संख्या-23 रीगा)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या-06060114 के द्वारा प्रथम इंटरस्तरीय परीक्षा के अंतिम परिणाम में कुल पदों की संख्या 13120 के विरुद्ध 11329 पदों के लिये अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई जिसमें से 1778 अभ्यर्थियों को फाइनल मेरिट से बाहर कर दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार शेष बचे अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट तैयार कर कॉउंसिलिंग कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भर्ती पूरा करना

*507. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला में होमगार्ड, 2011 की बहाली को 2022 में किया गया और कुल 191 सीटों पर बहाली निकाली गई थी जिसमें से 163 लोगों को प्रशिक्षण के लिये भेजा गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अभीतक दुसरी सूची जारी नहीं की गयी है जबकि आवेदकों की उम्र भी लगभग खत्म हो रही है, जिससे वे किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने लायक नहीं रह गये हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जो परीक्षार्थी शारीरिक क्षमता पास किये हैं उनके लिये द्वितीय सूची में सीट बढ़ाकर भर्ती पूरा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*508. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन विधान सभा के प्रखंड कोचाधामन के बलिया पंचायत में फतहपुर स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण आमजनों एवं मवेशी आदि के आवागमन से विवाद की आशंका बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक फतहपुर कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राजस्व की वसूली

*509. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदों में राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिससे विभागीय कार्य होते हैं तथा मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान वेंडरों को किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में 2021-22 में षष्टम वित्तीय आयोग अन्तर्गत 3900 करोड़ पंद्रहवीं वित्त आयोग से 5018 करोड़, 2022-23 में पंद्रहवीं वित्त आयोग से 1152 करोड़ और मनरेगा अन्तर्गत 22300 करोड़ की राशि स्थानीय निकायों को भुगतान हुआ है परन्तु उल्लिखित राशि के अनुसार जी०एस०टी० सहित अन्य टैक्स का 10% राजस्व भी वाणिज्य-कर विभाग को प्राप्त नहीं हुआ तथा वेंडरों/एजेंसी/पंचायती राज संस्थाओं द्वारा शेष टैक्स का गबन किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त मामले की जाँच कराने एवं गबन के मामले में कार्रवाई तथा बकाया राजस्व वसूली करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*510. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड कोटवा के मौजा महरानी

भोपत टोला बनवीरवा थाना नं० 58, खाता नं० 253, खेसरा नं० 644, रकवा 13 कट्ठा कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी का कार्य नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों और माल मवेशियों द्वारा कब्रिस्तान की भूमि पर मल-मूत्र त्याग किया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

'घ'-*511. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, गृह निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के औरंगाबाद जिला में वर्ष 2021 में बालू के अवैध खनन घोटाले में जिला के पुलिस अधीक्षक, बारूण के थाना प्रभारी एवं जिला खनन पदाधिकारी की सँलिप्तता पाई गयी और उनपर कार्रवाई की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि घोटाले एवं अवैध संपत्ति अर्जन के मामले में कई पदाधिकारियों को निलंबित कर सजा दी गयी थी जबकि तत्कालीन जिला खनन पदाधिकारी को निलंबित नहीं किया गया बल्कि उन्हें अच्छे जगह पर पदस्थापित कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार औरंगाबाद जिला के तत्कालीन जिला खनन पदाधिकारी के बालू माफियाओं से मिलीभगत और अवैध सम्पत्ति अर्जन करने की उच्चस्तरीय जाँच कराकर उचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ट्रैफिक व्यवस्था दुरूस्त करना

*512. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत काराकाट विधान सभा में बिक्रमगंज अनुमंडल स्थित है एवं नगर परिषद् भी है, जहां महाविद्यालय, प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय, उपकारा सहित उप-रजिस्ट्री कार्यालय जो तेन्दुनी चौक पर स्थित है एवं वहां हमेशा भयंकर जाम की स्थिति बनी रहती हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक ट्रैफिक आउट पोस्ट का निर्माण कर ट्रैफिक व्यवस्था दुरूस्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना भवन का निर्माण

*513. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव नगर में दिनांक 17 अप्रील, 1914 को स्थापित कहलगांव थाना कहलगांव अनुमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना थाना है जिसके भवन एवं स्टाफ क्वार्टर की स्थिति काफी खराब है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त थाना के भवन सहित स्टाफ क्वार्टर को बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा एवं सरकारी नौकरी देना

*514. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभुतिपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अन्तर्गत पोस्ट-सिंघिया, ग्राम- सलखन्नी के पत्रकार ब्रज किशोर ब्रजेश की हत्या 2017 में हुई थी, जिसपर सरकार द्वारा वर्ष 2017 में ही मृतक के विधवा को मुआवजा एवं सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई थी, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मृतक के विधवा को मुआवजा एवं सरकारी नौकरी देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट-- 'घ'- निगरानी विभाग से गृह विभाग में स्थानांतरित ।

ऋण माफ करना

*515. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अरवल जिला में डीबीजीबी बैंक किसानों के केसीसी लोन एवं व्यापारियों के लिए केसीसी लोन क्रमशः 3 साल एवं तीन माह में एनपीए करने के बजाय 10 वर्षों तक स्टैंडर्ड लोन साबित करने के बाद एनपीए घोषित किया गया है ;

(2) क्या यह भी बात सही है कि इससे अरवल जिला के दर्जनों किसानों, दुकानदारों को 3 साल और 3 माह में एनपीए घोषित करने से सूद नहीं देना पड़ता है, उनसे 8 से 10 सालों का सूद वसूला गया जो किसानों पर बोझ साबित हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार डीबीजीबी से किसानों/दुकानदारों द्वारा लिया गया ऋण माफ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामानों की बरामदगी

*516. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा शहर में पिछले तीन माह से लगातार चोरी और लूट की वारदातें हो रही हैं, लहेरियासराय थानान्तर्गत 1 सितम्बर, 2022 की रात्रि में डॉ0 रजनीश के घर 40 लाख, 26 सितम्बर को रात्रि में कीर्तिनारायण चौधरी के घर से 20 लाख, नगर थानान्तर्गत 28 अक्टूबर, 2022 को रात्रि में अजय कुमार के यहां 10 लाख समेत पचास से ऊपर चोरी एवं लूट की घटना हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रशासन द्वारा उपरोक्त किसी भी कांड का अभीतक उद्भेदन नहीं किया जा सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार घटित चोरी/लूट कांडों का उद्भेदन कर दोषी को गिरफ्तार एवं नगदी, आभूषण एवं अन्य कीमती सामानों की बरामदगी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*517. श्री मनोज यादव (क्षेत्र संख्या-163 बेलहर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बांका जिलान्तर्गत चांदन प्रखंड के झिंगाझार गाँव के ग्रामीणों के जमीन पर जबरन कब्जा करने के प्रयास में भू-माफिया एवं उनके सहयोगी तथा ग्रामीणों के बीच विवाद एवं झगड़ा हुआ, जिसके लिए चांदन थाना में भू-माफिया एवं ग्रामीणों द्वारा भी केस किया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि भू-माफिया के केस संख्या 1/2022 को दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है, जबकि ग्रामीणों द्वारा किये गये केस संख्या 05/2022 के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त केस संख्या 01/2022 एवं 05/2022 की सत्यता की सही एवं निष्पक्ष जाँच कराकर भू-माफिया एवं सहयोगियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*518. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनिया (अ0 जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत मोहनिया विधान सभा क्षेत्र के मोहनिया प्रखंड अन्तर्गत सहवाजपुर पंचायत के ग्राम-पतेलवा में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों एवं पशुओं का आना-जाना लगा रहता है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस निरीक्षक की पदस्थापना करना

*519. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ0 ज0 जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी पुलिस अंचल में विगत 10 माह से पुलिस निरीक्षक, मनिहारी अंचल पदस्थापित नहीं है, जिससे पुलिस निरीक्षक-सह-थाना अध्यक्ष, मनिहारी ही दोनों पदों पर दायित्व निभा रहे हैं, यदि हाँ तो क्या सरकार इस अंचल में अंचल पुलिस निरीक्षक की पदस्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पद सृजन करने

*520. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 01 अगस्त, 1986 में जहानाबाद जिला बनने के पूर्व यह एक अनुमंडल था और अनुमंडल कार्यालय में 19 पद अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिए सृजित था परन्तु जिला बनने के 26 वर्ष बाद भी कोई पद सृजित नहीं किया गया है, जबकि जिला पदाधिकारी, जहानाबाद ने (जिला स्थापना शाखा) पत्रांक-4क 12-96, ज्ञापांक-168, दिनांक 24 फरवरी, 2022 के माध्यम से विभिन्न स्तर के 199 अनुसचिवीय कर्मचारियों का पद सृजन कर बहाली करने का अनुरोध किया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कर्मचारियों की भारी कमी के कारण जिला के कार्यालयों में जरूरी काम लंबित रहता है और कार्यालयों पर दबाव बना रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पद सृजन करने एवं कर्मचारियों की नियुक्ति किये जाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अभियुक्तों की गिरफ्तारी

*521. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज के व्यवसायी व समाजसेवी स्व0 रामाश्रय सिंह के हत्या के चार वर्ष बाद भी हत्याकांड (काण्ड संख्या-205/19, थाना-भोरे, जिला-गोपालगंज) के छः अभियुक्तों में से दो मुख्य अभियुक्तों की अभीतक गिरफ्तारी नहीं हुई है ;

(2) क्या यह बात भी सही है कि दोनों मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से पीड़ित परिवार ने अपने जान-माल की सुरक्षा देने की सरकार से मांग की है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार कबतक उक्त हत्याकांड के दोनों मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

थाना भवन का निर्माण

*522. श्री सुर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ0 जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला अंतर्गत डंडारी प्रखंड स्थित डंडारी थाना का अपना भवन नहीं रहने के कारण आमलोगों और पदाधिकारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार डंडारी थाना का भवन बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग लगाना

*523. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बहादुरगंज विधान सभा अन्तर्गत बहादुरगंज टेढ़ागाछ, दिघलबैंक प्रखंडों में मक्का का रिकॉर्ड उत्पादन होता है, परंतु मक्का आधारित फूड प्रोसेसिंग प्लान्ट नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित जिला में उद्योग लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*524. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चिरैया प्रखंड के खडतरी मध्य पंचायत के ग्राम-खडतरी में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना की स्थापना

*525. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत पूर्णियाँ पूर्व प्रखंड के 11 पंचायत सहित बेलोरी, पूर्णियाँ शहरी क्षेत्र की लगभग 02 लाख आबादी की सुरक्षा का जिम्मा एक मुफस्सिल थाना पर रहने के कारण जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों में आपराधिक घटना घटने पर पुलिस समय से घटना स्थल पर नहीं पहुँच पाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आपराधिक घटना पर त्वरित कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय लोगों में भय व्याप्त है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित क्षेत्र की लगभग 02 लाख आबादी को सुरक्षा प्रदान करने तथा बीरपुर या मंझोली में एक नये थाना की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक क्षेत्र बनाना

*526. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव विधान सभा क्षेत्र में एन०टी०पी०सी० होने के कारण इसके आस-पास के क्षेत्र में औद्योगिक विकास की संभावना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बियाडा के द्वारा प्राईवेट लैंड परचेज पॉलिसी 2021 अधिसूचित किया गया है, जिसके अन्तर्गत यदि भूमि उपलब्ध होती है तो उसे औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की कार्रवाई की जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एन०टी०पी०सी० से सटे एकचारी-धनौरा इलाके के भूमि को बियाडा द्वारा अधिग्रहण कर औद्योगिक क्षेत्र बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुक्त कराना

*527. श्री सुर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अग्निपथ योजना के विरोध में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने लाठियों से घायल कर दिया और उनका इलाज बछवाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में करवाना पड़ा ;

(2) क्या यह बात सही है कि बछवाड़ा थाना कांड संख्या 143/2022 द्वारा छात्र नेता सत्यम कुमार सहित दर्जनों बेकसूर छात्र-नौजवानों के विरुद्ध तोड़फोड़ एवं अन्य हिंसक कार्रवाई बिना साक्ष्य के आरोपित कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस कांड का समीक्षा कर सत्यम कुमार सहित दर्जनों नौजवानों को कांड से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना का दर्जा देना

*528. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत जिला पदाधिकारी, गया एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, गया के द्वारा सहायक थाना डोभी को पूर्णरूपेण थाना में उन्नत करने हेतु पुलिस मुख्यालय, पटना के ज्ञापांक 233/एल-1, दिनांक 12 जून, 2020 द्वारा गृह विभाग को भेजी गयी थी, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुये सहायक थाना डोभी को पूर्णरूपेण थाना का दर्जा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान हेतु

*529. श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल''- (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के लोहट चीनी मिल मजदूरों का बकाया वेतनादि का भुगतान हेतु सरकार के द्वारा 18 करोड़ रुपये वर्ष 2017 में जिला पदाधिकारी, मधुबनी को भेजा गया जिसमें चीनी मिल के 1276 मजदूरों में से 275 मजदूरों का ही अभीतक बकाये राशि का भुगतान किया गया है, शेष 1026 मजदूरों का भुगतान बाकी है, यदि हाँ, तो सरकार शेष बचे 1026 मजदूरों का भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

परीक्षा में पारदर्शिता

*530. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा परीक्षार्थियों को प्रश्न पुस्तिका तथा ओ०एम०आर० शीट की कार्बन कॉपी नहीं दी जाती और ऐन्सर भी जारी नहीं किया जाता, जिससे अभ्यर्थियों को जारी किये गये अंक से मिलान करना असंभव होता है और इससे परीक्षा प्रक्रिया अपारदर्शी होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त आयोग द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जवाब मांगने पर अभ्यर्थियों से रु० 1000 का डीडी शुल्क के रूप में मांगा जाता है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की परीक्षा में पारदर्शिता लाने तथा सूचना के अधिकार के शुल्क में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अपहृत की बरामदगी

*531. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा शहर के थाना लहेरियासराय अन्तर्गत मोहल्ला बेलवागंज निवासी भगलू साह के पुत्र शनि कुमार का अपहरण कर दिया गया, अपहृत शनि कुमार के पिता द्वारा लहेरियासराय थाना कांड सं० 222/22 दर्ज कराकर अपहृत शनि कुमार का बरामदगी एवं मामले का उद्भेदन की गुहार लगायी ;

(2) क्या यह बात सही है कि अपहरण के छः माह बीत जाने के बाद भी अभीतक अपहृत शनि कुमार की बरामदगी नहीं हो पायी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मामले का उद्भेदन कर अपहृत शनि कुमार का बरामदगी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवनों का निर्माण

*532. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के योगापट्टी प्रखंड अन्तर्गत शनीचरी एवं नवलपुर थाना भवन एवं पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिस बलों का आवासीय भवन जर्जर है जिसके कारण आवासीय लोग नारकीय स्थिति में रहते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों थानों के भवन/आवासीय भवन निर्माण के लिये 2 बार जमीन का रिपोर्ट अंचल द्वारा भेजा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अंचल द्वारा भेजे गये रिपोर्ट के आलोक में वर्णित भवनों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ०पी० खोलना

*533. श्री प्रेम शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिले का राजेपट्टी, बैकुण्ठपुर थाना से लगभग 25 कि०मी० की दूरी पर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बंगरा पुल एवं 70 घाट पुल पूर्वी चम्पारण एवं गोपालगंज जिला को जोड़ती है ;

(3) क्या यह बात सही है कि पुल बनने के बाद आमजनों के आवागमन के साथ-साथ अपराधियों के भी आवागमन में वृद्धि हुयी है, जिससे राजेपट्टी के इलाके में आये दिन आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो गयी है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में राजेपट्टी में ओ०पी० खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*534. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत आमस प्रखंड के अकौना पंचायत स्थित कोरमथु एवं डोभी प्रखंड के बारी पंचायत स्थित बारी कब्रिस्तान में चहारदीवारी नहीं रहने से असामाजिक तत्व एवं आवारा पशुओं का आवागमन बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजनाओं का क्रियान्वयन

*535. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विगत तीन वर्षों में राज्य में प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्णियाँ एवं किशनगंज जिला सहित पूरे राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये कोई योजनाएँ स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण अल्पसंख्यकों में असंतोष है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पूर्णियां एवं किशनगंज सहित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के तहत लंबित योजनाओं के क्रियान्वयन का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जेल से रिहा कराना

*536. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सेना में भर्ती के लिये केन्द्र सरकार द्वारा नई योजना "अग्निपथ"

के विरोध में अरवल जिला में थाना कांड संख्या 277/22 एवं करपी थाना में कांड संख्या135/22 में तोड़-फोड़ किये जाने के आरोप में सैंकड़ों नौजवान जेल में और सैकड़ों पर मुकदमे दर्ज किये गये हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार नौजवानों के भविष्य पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये अग्निपथ योजना के खिलाफ हुये सभी मुकदमा वापस लेने और नौजवानों को जेल से रिहा करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस ओ०पी० की स्थापना

*537. डॉ० निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बांका जिलान्तर्गत कटोरिया प्रखंड के मोथाबाड़ी पंचायत में पुलिस ओ०पी० स्थापित नहीं होने के कारण किसी प्रकार की वारदात एवं कांड के संदर्भ में 20 किलो मीटर दूर कटोरिया थाना जाना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने तथा 20 किलो मीटर दूरी होने के कारण थाना प्रशासन को उक्त पंचायत में पहुँचने में विलम्ब हो जाता है तथा रात्रि गस्ती भी संभव नहीं हो पाता है, साथ ही उक्त पंचायत का कुछ भाग कटोरिया थाना और कुछ भाग फुल्लीडुमर थाना में आता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मोथाबाड़ी पंचायत में पुलिस ओ०पी० स्थापित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना का निर्माण

*538. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर अनुमंडल के दाउदनगर में यातायात थाना नहीं रहने से यातायात संचालन में असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार दाउदनगर में यातायात थाना का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राईस मिल खोलना

*539. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही विधान सभा क्षेत्र के बाबूबरही प्रखंड 20 पंचायतों का है जिसमें हर पंचायत में धान की खेती होती है, परन्तु राईस मिल नहीं रहने के कारण किसानों को काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बाबूबरही प्रखंड में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् के तहत राईस मिल खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*540. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ प्रखंड अन्तर्गत पलुहारा पंचायत के ग्राम-चाल्हो में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण आवारा पशुओं एवं असामाजिक तत्वों का आना-जाना लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

'च'-*541. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड अतरी के ग्राम-डीहुरी में कब्रिस्तान है

नोट— 'च'-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से गृह विभाग में स्थानान्तरित ।

जिसकी घेराबंदी आजतक नहीं की गयी है, जिसके कारण भूमि विवाद में दो समुदायों में बराबर तनाव की स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेंशन देना

*542. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ प्रखंड के नवाबचक (चकपर) ग्राम के स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद उर्फ नागेश्वर सिंह जयप्रकाश आंदोलन में सम्मिलित होने के कारण दिनांक 6 जुलाई, 1975 से 1 दिसम्बर, 1976 तक केन्द्रीय कारा, गया में बंद थे ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद उर्फ नागेश्वर सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती धनमतिया देवी को जे०पी० सेनानी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्रीमती धनमतिया देवी को जे०पी० सेनानी योजना के लागू होने की तिथि से पेंशन देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ०पी० का भवन निर्माण कराना

*543. श्री राज कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-144 मटिहानी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला अन्तर्गत सिंघौल ओ०पी० का अपना भवन नहीं होने के कारण अधिकारियों को विभागीय कागजात का संरक्षण एवं पदाधिकारियों के रहने में काफी कठिनाइयाँ होती है, यदि हाँ, तो सरकार सिंघौल ओ०पी० के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 (ई०)।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।